

30/08/24

पत्रावली पेश हुई। वाकीनी वकील अनु०।
न्यायालय समय में वाकीनी वकील को रुक-
रुक कर तीन बार भाषाज लगाई लेकिन कार्ड
उप० नहीं आया। अतः वाकीनी का बाद अदम
पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली जैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(SPO) चौहटन

